न्यायालयः–अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.**

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–CIS No. 84/2025

CIS N.–RJSK 100002312025

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 08/2025 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर
राजस्थान राज्य

बनाम

1– लोकेश उर्फ लक्की गुर्जर पुत्र सुलतान राम उम्र 23 वर्ष निवासी कुडी की ढाणी तन बांसियाल पुलिस थाना मेहाड़ा, जिला झुन्झुनूं (राज०)
2– अनिल कुमार उर्फ सुनिल कुमार पुत्र बुधाराम उम्र 23 वर्ष निवासी कुड़ी की ढाणी तन बांसियाला पुलिस थाना मेहाड़ा जिला झुन्झुनूं (राज०)
3– सुनिल खटाणा पुत्र मनीराम उम्र 24 वर्ष निवासी कुडी की ढाणी तन बांसियाल पुलिस थाना मेहाड़ा, जिला झुन्झुनूं (राज०)**(मफरूर)**

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा– 309(4),3(5) बीएनएस 2023

उपस्थितिः–

1. विद्वान अभियोजक अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री त्रिलोक महला, विद्वान अधिवक्ता–वास्ते अभियुक्तगण।

निर्णय **दिनांक– 27.04.2026**

1– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	19.04.2025
आरोप सुनाये जाने की तिथि	15.05.2025
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	27.05.2025
बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	05.08.2025
बहस अंतिम सुनी जाने की तिथि	25.04.2026
निर्णय की तिथि	27.04.2026

2– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूचि–

(क) अभियोजन–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
पी.डब्ल्यू 01	श्री मूलाराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 02	श्री मुकेश कुमार योगी	शिकायतकर्ता
पी.डब्ल्यू 03	श्री दीपक	नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू 04	श्री कमलेश	नक्शा मौका साक्षी

3– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची (मुताबिक बयान गवाह)–

(ख) अभियोजन–

क्र.सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	घटना की रिपोर्ट	पी 01
2	चॉक एफ आई आर	पी 02
3	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम लोकेश उर्फ लक्की	पी 03
4	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सुनील खटाणा	पी 04
5	नक्शा मौका घटनास्थल	पी 05
6	लोकेश व सुनील द्वारा दी गई ईतला	पी 06 लगायत पी 09
7	आपराधिक रिकॉर्ड मुलजिम लोकेश	पी 10
8	घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका	पी 11
9	फोटोग्राफ	पी 12 लगायत पी 14

नोटः– प्रकरण का अभियुक्त सुनिल खटाणा पुत्र मनीराम उम्र 24 वर्ष निवासी कुडी की ढाणी तन बांसियाल पुलिस थाना मेहाड़ा, जिला झुन्झुनूं (राज०) को दिनांक 24.03.2026 को मफरूर घोषित किया जा चुका है। अतः प्रकरण के शेष अभियुक्तगण लोकेश उर्फ लक्की गुर्जर व अनिल कुमार उर्फ सुनिल कुमार की हद तक निर्णय पारित किया जा रहा है।

4– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी मुकेश कुमार योगी तत्कालीन बीसीएम, भारत माईक्रो फाईनेंस कम्पनी ब्रांच फतेहपुर ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर पर इस आशय की प्रस्तुत की कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से बीसीएम के पद पर भारत माईक्रो फाईनेंस कम्पनी ब्रांच फतेहपुर में नोकरी करता है। उसके साथ दीपक सिंह निवासी महेन्द्रगढ मैनेजर के पद पर पदस्थापित है। वे रात्रि में ब्रांच में ही रहते हैं। उसके गांव का अनिल उर्फ सुनील ब्रांच में काम करता था, जिसको कम्पनी ने दो माह पहले निकाल दिया। सुनिल पुत्र मनीराम गुर्जर व लक्की पुत्र सुलतान उसके गांव के हैं। दिनांक 11.01.2025 को वह ब्रांच में ही था। दोपहर के समय सुनील उर्फ अनिल, सुनील, लक्की उसके पास आये,

उसने उनको चाय पानी पिलाई। उसके बाद वो कहीं जाने का कहकर चले गये। शाम के समय वह व दीपक सिंह वहीं पर ब्रांच के एक रूम में बैठे थे। समय करीब 8.30–09 बजे वो तीनों लड़के वापिस आये। सुनिल उर्फ अनिल ने आते ही उससे अलमारी (लॉकर) वाले रूम की चाबी मांगी तो उसने मना कर दिया। उसके बाद उपरोक्त तीनों ने उन दोनों को कहा कि चूपचाप बैठे रहो वरना जान खो दोगे। इस प्रकार दोनों ने उनके जान से मारने की धमकियां दी तथा डराया धमकाया तथा अलमारी (लॉकर) वाले रूम का ताला तोड़कर अन्दर गये तथा अन्दर अलमारी (लॉकर) को तोड़ दिया। अलमारी (लॉकर) में कुल 306827/– रूपये थे वो निकाल कर लेगये। उनके जाने के बाद उसने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस आयी थी। कानूनी कार्यवाही की जावे। जिस पर मुकदमा नम्बर 08/2025 अन्तर्गत धारा 309(4) बीएनएस, 2023 के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 309(4),3(5) बीएनएस, 2023 में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 309(4),3(5) बीएनएस, 2023 के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5– बहस चार्ज चुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 309(4),3(5) बीएनएस, 2023 के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

6– अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 351 बीएनएसएस लिए गए तो उन्होंने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना और झुंठा फंसाये जाने का कथन किया है। तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की गई।

<u>न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सूनी गई।</u>

7– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिये गये कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य ठोस प्रकृति की है, जिससे अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

8– उक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्तगण द्वारा कोई लूट नहीं की गई है। अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। पुलिस थाना घटनास्थल से दो किलोमिटर होने के बावजूद विलम्ब से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। घटनास्थल पर कोई भी रूपये रहे हों ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूंठा फसाया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

9– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10– न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 11.01.2025 को समय शाम को करीब 08.30–09 पी.एम. पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में कस्बा फतेहपुर में सरदारपुरा रोड़ स्थित माईक्रो फाईनेंस कम्पनी में परिवादी मुकेश कुमार योगी को जान से मारने की धमकी देकर अलमारी (लॉकर) वाले रूम का ताला तोड़कर व अलमारी (लॉकर) को तोड़कर उसमें से कुल 306827/– रूपये ले जाकर लूट का अपराध कारित किया ?

(2) यदि हां तो अभियुक्तगण को दण्ड क्या हो?

11– अभियुक्तगण पर इस प्रकरण में अभियोजन का यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.01.2025 को शाम के करीब 08.30–09 बजे कस्बा फतेहपुर में शरदारपुरा रोड़ स्थित माईक्रो फाईनेंस कम्पनी में परिवादी मुकेश कुमार योगी को जान से मारने की धमकी देकर अलमारी (लॉकर) वाले रूम का ताला तोड़कर व अलमारी (लॉकर) को तोड़कर उसमें से कुल 306827/– रूपये ले जाकर लूट कारित की है।

12– इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कुल 4 गवाह परीक्षित हुये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 2 मुकेश कुमार इस प्रकरण का परिवादी है जिसने मुख्य परीक्षण में सार रूप से यह कथन किये हैं कि दिनांक 11.01.2025 को अभियुक्तगण सुनिल खटाणा, लोकेश उर्फ लक्की गुर्जर व अनिल कुमार उर्फ सुनिल कुमार शाम करीब 8.30 बजे परिवादी की भारत फाईनेंस इनक्लुजन लिमिटेड ब्रांच फतेहपुर में आये और

परिवादी से लॉकर रूम व लॉकर की चाबी मांगी, मना करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्त लोकेश उर्फ लक्की व अनिल उर्फ सुनिल लॉकर रूम का ताला तोड़कर लोकर को कटर से काटकर लॉकर में रखे 306827/– रूपये निकालकर ले गये।

13– गवाह पी.डब्ल्यू 3 दीपक सिंह के मुख्य परीक्षा में इसी अनुसार कथन रहे हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 4 कमलेश कुमार सैनी जिरह में अपने सामने कोई भी घटना घटित होने से साफ इन्कारी करता है और अभियुक्तगण को घटना वाले दिन घटनास्थल पर देखे जाने से स्पष्ट इनकारी करता है। यह गवाह अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करता है।

14– गवाह पी.डब्ल्यू 1 मूलाराम इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान के सम्बन्ध में क्रमवार साक्ष्य देता है। जिरह में यह गवाह कथन करता है कि ''यह सही है कि प्रदर्श पी 1 में घटना के एक दिन देसी से दिपोर्ट दर्ज करने का कोई कारण नहीं लिखा है। थाना घटनास्थल से करीब 2 मिलोमीटर दूर है। यह सही है कि उसने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किये। अज खुद कहा कि वहां पर थे ही नहीं। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में परिवादी द्वारा लूटे गये रूपयों की कोई रिकवरी नहीं हुई है। यह कहना सही है कि आरोपीगण द्वारा रूपयों को कहां कहां खर्च किया और कपड़े खरीदने बाबत कोई बिल आदि बाबत कोई अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया। यह कहना सही है कि उसके अनुसंधान के अनुसार वरवक्त घटना आरोपीगण के पास कोई हथियार नहीं था सिर्फ जुबान से डराया धमकाया था यह कहना सही हे कि दिनांक 12.01.2025 को माईक्रो फाईनेंस कम्पनी के लॉकर में 306827/– रूपये रखे जाने बाबत कोई रिकॉर्ड उसके द्वारा नहीं लिया गया। यह कहना सही है कि आरोपीगण की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक नक्शा मौका बनाने से पूर्व वह घटनास्थल की पहचान कर चुका था। यह कहना सही है कि उक्त घटना कारित करने में काम में लिया गया कोई भी हथियार आरोपीगण से बरामद नहीं हुआ है। उसके अनुसंधान में परिवादी व आरोपीगण के मध्य पुरानी रंजीस होने की कोई बात सामने नहीं आई थी। यह कहना सही है कि उसके आरोपीगण के मोबाईल नम्बर 7056226803 व 9462110741

आरोपीगण के ही हों इस बाबत टेलीकॉम कम्पनी से कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं किया गया है।''

15– प्रकरण के परिवादी व अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में यह एक स्वीकृत तथ्य प्रकट होता है कि जिस स्थान भारत माईक्रो फाईनेंस लिमिटेड शाखा फतेहपुर के कार्यालय से अभियुक्तगण द्वारा लूट की जाकर रूपये ले जाना अभियोजन बता रहा है, वहां कोई कार्यालय/ फाईनेंस कम्पनी घटनास्थल के स्थान पर अवस्थित रही हो और उसमें घटना की दिनांक को 306827/– रूपये जमा रहे हों, ऐसा कोई दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16– प्रकरण में यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण से इस प्रकरण में कोई भी बरामदगी रूपयों अथवा लॉकर व गेट तोड़ने के सामान की नहीं हुई है तथा अभियुक्तगण के द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन की लोकेशन भी घटनास्थल की वर वक्त घटना नहीं पाई गई है।

17– अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 1 मूलाराम की जिरह से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल से पुलिस थाना की दूरी मात्र दो किलोमीटर है और अभियोजन के अनुसार परिवादी मुकेश कुमार के द्वारा हस्तगत प्रकरण की घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दिनांक 12.01.2025 को समय शाम 7.06 मिनट पर दर्ज करवाई गई है। लूट जैसे गम्भीर अपराध की रिपोर्ट परिवादी द्वारा घटना के एक दिन पश्चात् दर्ज करवाया जाना और इस विलम्ब का कोई भी कारण प्रकट नहीं किया जाना अभियोजन के प्रकरण की विश्वसनियता पर संदेह उत्पन्न करता है।

18– परिवादी पी.डब्ल्यू 2 मुकेश कुमार योगी की जिरह के अनुसार पुलिस घटना वाले दिन ही करीब 20 मिनट बाद मौके पर आ गई थी और उस समय मौके पर ताला आदि टूटने के आलामात ही नहीं थे, जबकि गवाह पी.डब्ल्यू 3 दीपक सिंह इन कथनों के विरोधाभासी कथन करते हुये यह साक्ष्य देता है कि पुलिस ने घटना वाले दिन ही घटनास्थल से लॉकर रूम व लॉकर के टूट हुये तालों को उसके सामने जब्त किया था। यह गवाह घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात पुलिस को बता देने की साक्ष्य देता है और परिवादी पी.डब्ल्यू 2 मुकेश कुमार घटनास्थन से पुलिस द्वारा अपने सामने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर लेकर जाने की साक्ष्य देता

हैं, परन्तु इन गवाहों के इन कथनों के गम्भीर विरोधाभासी कथन करते हुये प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 1 मूलाराम अपनी जिरह में यह कथन करता है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज परिवादी ने पेश ही नहीं किये थे और वहाँ पर सीसीटीवी थे ही नहीं। इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य में यह भी एक विरोधाभास दृष्टिगत होता है।

19– यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि प्रदर्श पी 1 के अनुसार अभियुक्तगण ने कटर से लॉकर को काटकर रूपये लूटे थे, परन्तु प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 1 मूलाराम की जिरह का अवलोकन करें तो जिरह में यह गवाह अभियुक्तगण के पास कोई हथियार ही नहीं होना स्वीकार करता है। इस प्रकार जब अभियुक्तगण के पास कोई हथियार था ही नहीं तो लॉकर को किस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा काटा गया है, यह भी अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है।

20– परिवादी पी.डब्ल्यू 2 मुकेश कुमार की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के अनुसार अभियुक्तगण परिवादी के गाँव के व पूर्व से परीचित व्यक्ति हैं। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू 4 कमलेश कुमार सैनी ने अपनी जिरह में यह कथन किये हैं कि यदि परिवादी मुकेश व दीपक ने आपस में रूपयों का गबन करके यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया होतो भी वह नहीं बता सकता। इस गवाह के इन कथन, परिवादी व अभियुक्तगण के एक ही गांव के व पूर्व से परीचित होने के तथ्यों एवं अभियुक्तगण के पास किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं होने के बावजूद परिवादी व उक्त गवाह दीपक द्वारा अभियुक्तगण का किसी भी प्रकार से प्रतिरोध/ विरोध करने का कोई प्रयत्न तक नहीं किया जाना इस प्रकरण में वास्तव में कोई लूट की घटना घटित होने पर भी संदेह उत्पन्न करता है।

21– ऐसी दशा में उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार जो साक्ष्य अभियोजन के द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत हुई है उससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अपराध को अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–309(4),3(5) बीएनएस 2023 में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

22– परिणामतः अभियुक्तगण 2–लोकेश उर्फ लक्की गुर्जर पुत्र सुलतान राम उम्र 23 वर्ष निवासी कुडी की ढाणी तन बांसियाल पुलिस थाना मेहाड़ा, जिला झुन्झुनूं (राज०), 3–अनिल कुमार उर्फ सुनिल कुमार पुत्र बुधाराम उम्र 23 वर्ष निवासी कुड़ी की ढाणी तन बांसियाला पुलिस थाना मेहाड़ा जिला झुन्झुनूं (राज०),को धारा–309(4),3(5) बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23– अभियुक्त लोकेश उर्फ लक्की के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

24– **प्रकरण का अभियुक्त अनिल उर्फ सुनील कुमार न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः इस अभियुक्त की रिहाई बाबत इस प्रकरण की हद तक संबंधित जेल इंचार्ज को तहरीर जारी हो।**

25– प्रकरण का अभियुक्त सुनिल खटाणा पुत्र मनीराम उम्र 24 वर्ष निवासी कुडी की ढाणी तन बांसियाल पुलिस थाना मेहाड़ा, जिला झुन्झुनूं (राज०)(मफरूर) है अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(अजय कुमार पूनिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर जिला सीकर।

26– निर्णय व आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(अजय कुमार पूनिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर जिला सीकर।